

पत्रांक 1360 / 7सी0
सेवा में,

अल्मोड़ा दिनांक 23- जून 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में खूट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/15503/2015**)।

संदर्भ: आपका पत्र सं0 मैमो/12-1(2) दिनांक 07.11.2019 एवं ई0डी0एस0 03.04.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्र सं0 1525/7सी0 दिनांक 25 अगस्त 2020 से मय संलग्नको सहित आपको प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर से समस्त बिन्दुओं की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में हार्ड कॉपी प्रेषित 4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

आपत्ति	निराकरण
1-In reply to para 01, no comments made by the State Government as the proposal has already been closed on 25.09.2017	बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में मार्गदर्शी पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने की कृपा करें।
2. In reply to point No. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate Part-IV, Part V, SOI toposheet and digital map of CA area still not submitted in original. Land schedule and Muck Disposal Plan are not countersigned by DFO.	उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 0.983 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है। मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है, आरक्षित भूमि के लैण्ड शेडयूल का प्रपत्र अतिरिक्त सूचनओं के बिन्दु सं0 51 में अपलोड कर लिया गया है। मलवा निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित है।
3.In reply to point No. 02, justification submitted by State Government is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity. State Government may submit the clarification in this regard.	उक्त मार्ग से ठाठ ग्राम संयोजित किया जाना है जो मुख्य मार्ग से 1000 मीटर दूरी पर स्थित है। जिस हेतु मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।
4.प्रस्तावित मार्ग की KML file गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लामान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	मार्ग की KML file सही कर पार्ट । के सेक्शन KML file पर अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त संलग्नकों को अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में एवं सी0डी0 1न0।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट
काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग
लम्बाई 4.00 कि०मी०

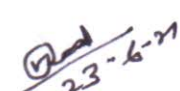
प्रस्ताव पुनर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाईन आपत्तियों में दिनांक 24.05.2016, 20.07.2016, 23.05.2019 एवं 14.08.2019 को प्राप्त हुये। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय द्वारा क्रमशः दिनांक 16.06.2016, 01.03.2019, 12.07.2019, 31.08.2019 को अपलोड कर लिया गया था। पुनः दिनांक 07.11.2019 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन आपत्तियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसका निराकरण वर्तमान में किया जा रहा है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चाही गयी वांछित सूचनाओं को समय समय से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया जाता रहा है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुनर्जीवित किये जाने हेतु पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं।




सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


23-6-19
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट
काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग
लम्बाई 4.00 कि०मी०

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट
काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग
लम्बाई 4.00 कि०मी०

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु चाही गयी
वांछित सूचनायें ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर ली गयी हैं।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूंट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से
ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०

लैण्ड शेड्यूल(आरक्षित वन भूमि)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण कार्य में आरक्षित भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

hahad

प्रभारित प्रमाणितकारी
अल्मोड़ा जिला प्रशासन
अल्मोड़ा।

~~छाया प्रति प्रमाणित~~

~~सहायक प्रमाणितकारी
प्रदेशीय खाड, त्रि० नि० वि०
अल्मोड़ा~~

पत्रांक 1360 / 7सी0

अल्मोड़ा दिनांक 23- जून 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:

जनपद अल्मोड़ा में खूट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/15503/2015**)।

संदर्भ:

आपका पत्र सं0 मैमो/12-1(2) दिनांक 07.11.2019 एवं ई0डी0एस0 03.04.2021

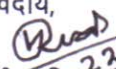
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्र सं0 1525/7सी0 दिनांक 25 अगस्त 2020 से मय संलग्नको सहित आपको प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर से समस्त बिन्दुओं की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में हार्ड कॉपी प्रेषित 4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

आपत्ति	निराकरण
1-In reply to para 01, no comments made by the State Government as the proposal has already been closed on 25.09.2017	बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में मार्गदर्शी पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने की कृपा करें।
2. In reply to point No. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate Part-IV, Part V, SOI toposheet and digital map of CA area still not submitted in original. Land schedule and Muck Disposal Plan are not countersigned by DFO.	उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 0.983 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है। मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है, आरक्षित भूमि के लैण्ड शेडयूल का प्रपत्र अतिरिक्त सूचनओं के बिन्दु सं0 51 में अपलोड कर लिया गया है। मलवा निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित है।
3.In reply to point No. 02, justification submitted by State Government is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity. State Government may submit the clarification in this regard.	उक्त मार्ग से ठाठ ग्राम संयोजित किया जाना है जो मुख्य मार्ग से 1000 मीटर दूरी पर स्थित है। जिस हेतु मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।
4.प्रस्तावित मार्ग की KML file गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	मार्ग की KML file सही कर पार्ट । के सेक्शन KML file पर अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त संलग्नकों को अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में एवं सी0डी0 1न0।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।